फोन/फैक्स नं0– 01375–224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर– 9208008000

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

पंत्राक– 356 / 12–1 दिनांक,बड़कोट,अगस्त, 08 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 2.50 कि0मी0) 0.280 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, बडकोट को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्ताव ऑनलाईन से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। विषयगत सम्पर्क मार्ग प्रस्ताव पर प्रभाग स्तर से आवश्यक सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है। अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन से आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 8.8.16 को इस सम्पर्क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग स्थल पर अन्य कोई और विकल्प न होने के कारण इस स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। जनहित में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिसकी संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(डी0के0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

Scanned by CamScanner

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या..................

7	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में रा0रा0मा0 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु (लम्बाई 2.50 कि0मी0) 0.280 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनिमय–1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 बडकोट को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है0 में	0.280 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.245 है0 आरक्षित वन बडकोट कक्ष–8 0.035 है0 सिविल सोयम भूमि बडकोट 0.280 है0
(vi)	हरियाली का घनत्वा	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0–2मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 19 वृक्ष वाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्याकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षित टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 0.25 कि0मी0 के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नही। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र मं वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नही।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नही। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग–1 कालन–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नही) यदि हॉ मो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नही।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	1 है0 से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नही किया जाना है। इस हेतु रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	1 है0 से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नही किया जाना है। इस हेतु रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का दृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

Scanned by CamScanner

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैंप।	उपरोक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया–जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन ऐजेन्सी स्वंय वन विभाग समय–उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत– रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 863280.00 एवं काटे जाने वाले वृक्षों के ऐवज में 10 गुना वृक्षारोपण हेतु 190000.00 रू0 का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 863280.00 एवं काटे जाने वाले वृक्षों के ऐवज में 10 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 190000.00 रू0 का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण निपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 91 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 135.1275 है0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनींकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि– (ख) वनेतर भूमि पर–	 क– 270.255 है0 ख– –
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	 क– 34.27 है0 ख – 190.35 है0
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एंव प्रस्ताव मे प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18-5-2016 को प्रश्नगम भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस पेयजल परियोजना हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 23-5-2016

स्थान बड़कोट

(डी0के0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमना वन प्रभाग बड़कोट।

Scanned by CamScanner